



2026:AHC:178194

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 14437/2026

नसीर उर्फ नसीरुद्दीन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: संदीप कुमार चतुर्वेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

1. आज द्वितीय अनुपूरक शपथ-पत्र दायर किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार चतुर्वेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री छवि पाल सिंह उपस्थित हैं। नोटिस के तामील के बावजूद, विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत विशेष वाद संख्या 45/2020, मुकदमा अपराध संख्या 363/2019 से उद्भूत, भा.द.सं. की धारा 363, 366, 376 तथा पोकसो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत (थाना-शाहपुर, जिला-गोरखपुर), अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोकसो अधिनियम, न्यायालय संख्या 4, गोरखपुर द्वारा पारित दिनांक 07.03.2026 के आदेश को खारिज करने हेतु दायर किया गया है, जिसके द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन निरस्त किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि की स्थिति पर विचार किए बिना पारित किया गया है। आगे यह प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है कि प्रश्नगत आवेदन पी.डबल्यू.-2/पीड़िता को प्रति-परीक्षा हेतु पुनः बुलाने के लिए दायर किया गया था। तथापि, पी.डबल्यू.-2 की प्रति-परीक्षा का अवसर बंद कर दिया गया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वाद के तथ्यात्मक स्वरूप का खंडन नहीं किया है।
6. विचारण न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि पीड़िता की मुख्य परीक्षा दिनांक 15.03.2023 को अभिलिखित की गई थी तथा प्रति-परीक्षा हेतु दिनांक 21.03.2023, 30.05.2023, 06.06.2023, 04.08.2023 की तारीखें नियत की गई थीं, तथापि आवेदक ने पीड़िता की प्रति-परीक्षा नहीं की, तत्पश्चात पी.डबल्यू.-2 की प्रति-परीक्षा का अवसर बंद कर दिया गया, तथा विचारण दिनांक 12.03.2026 से बहस के लिए लंबित है।
7. अभिलेखों के परिशीलन के पश्चात प्रति-परीक्षा की केवल छह पंक्तियां अभिलिखित की गई हैं तथा पी.डबल्यू.-2/पीड़िता से 2 और 3 प्रश्न पूछे गए हैं।
8. डॉ. राजेश तलवार एवं अन्य बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, (2014) 1 एससीसी 628 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष विचारण के प्रश्न पर विचार करते हुए प्रस्तर 10 में निम्नानुसार टिप्पणी किया है:-

“10. इस न्यायालय ने सेल्वी जे. जयललिता एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 154/2013), जिसका निर्णय दिनांक 30.9.2013 को हुआ, में अपने पूर्ववर्ती निर्णयों त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1989 एससी 1335; जाहिरा हबीबुल्ला शेख तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य, एआईआर 2006 एससी 1367; कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य, (2009) 6 एससीसी 260; मोहम्मद हुसैन उर्फ जुल्फिकार अली बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली सरकार), एआईआर 2012 एससी 750; तथा नताशा सिंह बनाम सी.बी.आई. (राज्य), (2013) 5 एससीसी 741, का उल्लेख करने के पश्चात, निष्पक्ष विचारण के विवादक को इस प्रकार टिप्पणी करते हुए निर्णीत किया:

“निष्पक्ष विचारण आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है तथा ऐसी निष्पक्षता को किसी भी प्रकार से बाधित या आशंकित नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्ष विचारण अभियुक्त, पीड़ित तथा समाज के हितों को समाहित करता है। अतः, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भावना में प्रत्येक अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण प्रदत्त किया जाना चाहिए तथा अभियुक्त को आपराधिक मामले में लगाए गए आरोप पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त विचारण का अवसर प्राप्त होना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा कर्तव्यों का कोई भी अतिक्रमण या उल्लंघन संपूर्ण समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा यह सामान्यतः समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। सभी परिस्थितियों में, न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को बनाए रखें तथा ऐसा कर्तव्य 'विधि की गरिमा' का समर्थन तथा पोषण करना है और न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में होने वाले उत्पीड़नकारी या दमनकारी आचरण की ओर से आंखें नहीं मूंद सकते हैं।

निष्पक्ष विचारण से वंचित करना अभियुक्त के लिए उतना ही अन्याय है जितना पीड़ित तथा समाज के लिए है। इसके लिए अनिवार्यतः एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक तथा न्यायिक शांति के वातावरण के समक्ष विचारण की आवश्यकता है। चूंकि विचारण का उद्देश्य न्याय प्रदान करना तथा दोषी को दंडित करना और निर्दोष की संरक्षा करना है, अतः विचारण सत्य की खोज होनी चाहिए तथा तकनीकी बातों पर विवाद नहीं होना चाहिए और इसे ऐसे नियमों के अंतर्गत संचालित किया जाना चाहिए जो निर्दोष की संरक्षा करें तथा दोषी को दंडित करें। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। अतः, स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्य शर्त है। निष्पक्ष विचारण प्राप्त करने का अधिकार न केवल एक मूल मौलिक अधिकार है, अपितु एक मानव अधिकार भी है। अतः, निष्पक्ष विचारण में कोई भी बाधा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकती है।

XX XX XX XX

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 12 निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उपबंध करता है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। अतः, निष्पक्ष विचारण आपराधिक न्यायशास्त्र का हृदय है तथा, एक प्रकार से, एक लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली का महत्वपूर्ण पक्ष है और विधि के शासन द्वारा शासित है। निष्पक्ष विचारण से वंचित करना मानव अधिकारों का सूली पर चढ़ाना है।” 8. नताशा सिंह बनाम सी.बी.आई. (राज्य), (2013) 5 एससीसी 741 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. संजीव राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 2012 एससी 2242 के निर्णय का उल्लेख करने के पश्चात धारा 311 दं.प्र.सं. की विवेकाधीन शक्ति के विस्तार पर विचार किया, जो निम्नानुसार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का निष्पक्ष अवसर प्रदान करना प्रत्येक निष्पक्ष विचारण का उद्देश्य था, ऐसा इस न्यायालय ने हॉफमन एंड्रियास बनाम इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स, अमृतसर, (2000) 10 एससीसी 430 में प्रेक्षित किया। इस संबंध में निम्नलिखित अंश उपयुक्त है:

‘ऐसी परिस्थितियों में, यदि नए अधिवक्ता ने सारवान् साक्षियों की अग्रेतर परीक्षा कराने का विचार किया, तो न्यायालय न्याय के हित में उदारता तथा उन्मुक्त दृष्टिकोण अपना सकता है, विशेष रूप से जब न्यायालय के पास संहिता की धारा 311 में अंतर्निहित मामले में निरंकुश शक्तियां हैं। अंततः विचारण मूलतः कैदियों के लिए है और न्यायालयों को उन्हें निष्पक्ष तरीके से अवसर प्रदान करना चाहिए।’

XXX XXX XXX XXX

हम इस तथ्य से सचेत हैं कि साक्षियों को पुनः बुलाने का निदेश उनकी मुख्य परीक्षा के लगभग चार वर्ष पश्चात दिया जा रहा है, उस घटना के संबंध में जो लगभग सात वर्ष पुरानी है?.. हम इस मत के हैं कि तर्क की समानता पर तथा साक्षियों की प्रति-परीक्षा से वंचित करने के परिणामों को देखते हुए, हम अपीलार्थी को अवसर मिलने के पक्ष में त्रुटि करना अभियोजन को उसकी कीमत पर संभावित पूर्वाग्रह से संरक्षित करने की अपेक्षा वरीयता देंगे। विचारण की निष्पक्षता एक ऐसा सद्गुण है जो हमारी न्यायिक प्रणाली में पवित्र है तथा इस सद्गुण की संरक्षा के लिए कोई भी कीमत अत्यधिक नहीं है। अभियोजन के लिए संभावित पूर्वाग्रह एक कीमत भी नहीं है, यह कहना तो दूर की बात है कि यह अभियुक्त को स्वयं का बचाव करने के निष्पक्ष अवसर से वंचित करने को न्यायोचित ठहराएगा।”

9. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा नताशा सिंह (उपरोक्त) एवं डॉ. राजेश तलवार (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि की सुस्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है, तथा विचारण न्यायालय को यह निदेशित किया जाता है कि वह पी.डबल्यू.-2 को प्रति-परीक्षा हेतु समन जारी करे, तथा आवेदक को यह निदेशित किया जाता है कि वह सुनवाई की प्रथम उपस्थिति पर, किसी अनावश्यक स्थगन की मांग किए बिना, पी.डबल्यू.-2 की प्रति-परीक्षा पूर्ण करे।

10. वर्तमान आवेदन, तदनुसार, स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24 अगस्त, 2026

ईशान

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।